उनवानी प्रकरणः— जुगराज बनाम तुलसीराम वगै0

मु.न.:— 27/2020 कि0मु0:— प्रार्थना पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय निशियल्स जज	नम्बर व तारीख
	07.03.2025 पत्रावली पेश हुई। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की संयुक्त आराजी पर अप्रार्थीगणों को पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार की कब्जे काश्त में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं वाद पत्र के निस्तारण तक उक्त विवादित आराजीयात को खुर्द–बुर्द नहीं कर अप्रार्थीगणों को पाबन्द करने निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में निवेदन किया गया है कि मृतक जैना ने उक्त सम्पूर्ण आराजी का विधिवत रूप से बंटवारा कर दिया गया है तथा बंटवारे अनुसार प्रार्थीगण व अप्रर्थीगणों काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार की कब्जे काश्त में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं वाद पत्र के निस्तारण तक उक्त विवादित आराजीयात को खुर्द–बुर्द नहीं कर प्रार्थीगणों को पाबन्द करने निवेदन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। विवादित आराजी का उभयपक्षाकारान के द्वारा खुर्द–बुर्द कर दिया जाना है तो पक्षकारान को अपूर्णनीय क्षति होगी। विवादित आराजीयात का प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्त घोषित है। जिन्हे विवादित आराजीयात का रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये जाने हेतु न्यायोचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्षों का पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी ग्राम गण्डावर की जमाबन्दी सम्बत् 2073–2076 के खाता संख्या 115 में अंकित खसरा नम्बरान् पर ताफैसला वादपत्र रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तक्मील वादपत्र के साथ संलग्न हों । उपखण्ड अधिकारी खण्डार (सवाई माधोपुर)	